<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)</u>

:: **<u>विविध आदेश</u>** ::

क्रमांक 216 / दो–12–11 / 2014 बैतूल दिनांक 17 / 11 / 2020

1. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर क्र.ए / 2549 / जबलपुर दिनॉक 13.11.2020 के पालन में जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित सभी न्यायालयों में तथा परिवार न्यायालय बैतूल में तथा तहसील मुलताई, भैंसदेही और आमला स्थित सभी न्यायालयों में दिनॉक 23, 25 एवं 27 नवम्बर 2020 को तथा दिनॉक 01, 03, 05 दिसम्बर 2020 को (अर्थात् दिनॉक 23.11.2020 से 05.12.2020 तक अल्टरनेटिव कार्यदिवस में) निम्न प्रकार के प्रकरणों के लिये लिमिटेड फिजिकल हियरिंग निर्देशित की जाती है :–

1. रिमाण्ड, जमानत आवेदन एवं सुपर्दगीनामा आवेदन
2. अपील एवं पुनरीक्षण (आपराधिक एवं व्यवहार दोनों)
3. वे आपराधिक प्रकरण, जिनमें आरोपी / आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
4. पॉच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के समस्त आपराधिक प्रकरण
5. मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में जमा प्रतिकर राशि प्राप्ति के आवेदन–पत्र
6. धारा 125 से 128 द.प्र.सं. के प्रकरण
7. किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण
8. एडाप्शन प्रकरण
9. ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा / समझौता आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. ऐसे सभी प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीमित समयावधि में निराकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। (आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरण दोनों)
11. एक्सट्रीम अर्जेन्ट प्रकृति के व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरण, जिनमे न्यायालय द्वारा तात्कालिकता पायी जाती है।

2. उपरोक्त कार्य दिवसों में प्रत्येक न्यायालय में प्रकरणों की संख्या 10 (दस) से अधिक नहीं होगी।

3. उपरोक्त कार्य दिवसों में उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों की फिजिकल हियरिंग के साथ–साथ सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम, जो अभिभाषकों और पक्षकारों के लिये सुविधापूर्ण है, से भी की जावेगी।

4. अभिभाषकों, पक्षकारों एवं साक्षियों की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश–पत्रिका पर लिखी जावेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक अभिभाषकों, पक्षकारों और गवाहों के हस्ताक्षर आदेश–पत्रिका पर नहीं लिये जावेंगे।

5. जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही तथा आमला में प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर में लिमिटेड गेदरिंग तथा न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण के परिसर में आवागमन के संबंध में कोविड–19 की सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

6. ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण और न्यायालयीन कर्मचारीगण, जो क्वारेंटाईन / आइसोलेटेड किये गये हैं, का प्रवेश न्यायालय परिसर में वर्जित रहेगा।

7. कोई भी व्यक्ति शराब पिये हुये, पान, गुटखा या तम्बाकू खाये हुये न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। न्यायालय परिसर में थूकना प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त गतिविधि करते पाया गया, तो वह विधि अनुसार एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार अभियोजन/दण्ड का दायी होगा।

8. सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभिभाषकगण, पक्षकार एवं न्यायालयीन कर्मचारी, जो न्यायालय परिसर में आते हैं। फेस मास्क या फेस कव्हर पहनेंगे।

9. कोई भी व्यक्ति, जिसे बुखार और फ्लू है, या बुखार या फ्लू जैसे लक्षण है, न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा यदि किसी न्यायालयीन कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण है, तो वह तुरंत अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश, बैतूल को सूचित करेंगे। यदि कोई अभिभाषक, बुखार/फ्लू से ग्रस्त है, तो वह तुरंत इसकी सूचना अभिभाषक संघ को देंगे एवं अभिभाषक संघ द्वारा तुरंत इसकी जानकारी जिला न्यायाधीश को दी जावेगी।

10. केवल उन्हीं पक्षकारों और उनके अभिभाषकगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरण नोटिफाईड एवं लिस्टेड हैं। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, न्यायालय परिसर में इंट्री पाईंट पर यह देखने की व्यवस्था करेंगे कि केवल वही अभिभाषकगण और पक्षकारगण न्यायालय परिसर में आये, जिनके प्रकरण उस दिन न्यायालय में नियत हैं।

11. न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय. अभिभाषक संघ के कक्ष में लिमिटेड इंट्री सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैंसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में सेनेटाईजेशन एवं हाथ धोने की व्यवस्था मुख्य प्रवेश द्वार पर, टायलेट्स में, न्यायालय कारिडोर्स में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धोये और बिना सेनेटाईजर लगाये प्रवेश नहीं करे तथा न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करायेंगे।

13. न्यायालय में एक समय में केवल वे ही अभिभाषकगण और पक्षकारगण उपस्थित होंगे, जिनके प्रकरणों में सुनवाई हेतु पुकार लगवाई गयी है। शेष अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण न्यायालय कक्ष के बाहर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे।

14. अभिभाषकगण अपनी केस फाईल स्वयं धारित करेंगे एवं सुनवाई हो जाने पर अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण तुरंत न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

15. समस्त न्यायिक अधिकारी, अभिभाषक, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार तथा साक्षी कोविड–19 के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

16. जिला मुख्यालय बैतूल के लिये श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) बैतूल तथा श्री संजय मिश्रा, अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बैतूल एवं

श्री अजय सोनी, उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय बैतूल की त्रि–सदस्यीय समिति का गठन इस विविध आदेश से किया जाता है। उक्त समिति प्रतिदिन के आधार पर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी। तहसील मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में प्रभारी अधिकारी नजारत, माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर के पालन में समिति का गठन कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

17. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के उपरोक्त सर्कुलर क्र.ए/2549 दिनांकित 13.11.2020 के पालन में तथा सर्कुलर क्र.बी/4195 दिनॉक 31.10.2020 की निरंतरता में दिनॉक 17.11.2020 से 05.12.2020 तक (फिजिकल हियरिंग के लिये अधिसूचित उपरोक्त दिनॉकों को छोड़कर) वर्चुअल लिमिटेड हियरिंग किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

17.11.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

<u>संलग्न</u> –
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का सर्कुलर क्र.ए/2549 जबलपुर, दिनांकित 13.11.2020

पृष्ठां. क्र....1426/दो–12–11/2014 बैतूल, दिनांक 17/11/2020

<u>प्रतिलिपि</u>–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।
3. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट बैतूल।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति. अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैसदेही श्री कमलेश इटावदिया/श्री अनुज त्यागी/श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के. दंदेलिया/श्री हरप्रसाद बंशकार/श्री सुशील कुमार जोशी/श्री कृष्णदास महार/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी
5. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
6. श्री दीनानाथ वाड़िवा, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल।
7. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती रंजीताराव सोलंकी/श्रीमती मंजूषा तेकाम/श्री एन.एस.ताहेड़
8. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला। सुश्री श्वेता खरे/श्रीमती कमला गौतम/श्री विनोद अहिरवार/श्रीमती प्रियंका कुशवाह/श्री अजय कुमार उईके/श्री दीपेन्द्र मालू/सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री कौस्तुभ खेड़ा

9. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही।
11. प्रभारी अधिकारी, नजारत/ग्रंथालय/मालखाना/पंजीयन/तलवाना/कम्प्यूटर अभिलेखागार/प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/लेखा अनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही
12. पुलिस अधीक्षक, बैतूल।
13. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही।
14. लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल/मुलताई/भैंसदेही की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
16. सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश की प्रति संबंधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

17.11.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// CIRCULAR //

No.____A/2549____/ Jabalpur dated 13/11/2020

The High Court of M.P. has been pleased to issue directions to start limited physical/virtual functioning in the Subordinate Courts including Family Courts. Limited physical hearing of following categories of cases, shall be started on alternate day's w.e.f. 23.11.2020 till 05.12.2020, on experimental basis:-

[1. Remand, Bail and Supurdginama matters.
2. Appeal and Revision (Both Civil & Criminal).
3. Matters relating to under trial prisoners.
4. Criminal cases pending for more than 05 years.
5. Matters relating to payment of amount deposited in respect of Motor Accident Claim Cases.
6. Matters under Section 125 to 128 of the Cr.P.C.
7. Matter related to Juvenile Justice Board.
8. Matter related to Adoption Cases.
9. Cases in which comprise has been filed.
10. Matters directed to be disposed of within time limit by the Supreme Court or the High Court (Both Civil & Criminal).
11. Other extreme urgent nature of Civil & Criminal matters, which are found to be heard on urgent basis by the court.]

The number of cases in each court of the district shall be at the discretion of the concerned District & Sessions Judge.

(i) In addition to the physical hearing of cases, hearing would also continue through video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants.

(ii) The appearance/attendance of litigants, witnesses or Advocates shall be recorded by the courts in order sheets of the court files whereas their signatures would not be taken to prevent the spread of Corona virus, till further orders.

(iii) District & Sessions Judges at District Headquarters and outlying stations shall ensure that all precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises are taken and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.

(iv) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are quarantined/isolated shall be prohibited for entering in the court premises.

(v) Persons consuming liquor, pan, gutka or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.

(vi) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover. Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter/present in the court premises without proper face mask.

(vii) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons as per the directions issued by the Central/State Government.

(viii) Any person having fever and flu or alike symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.

(ix) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association immediately with intimation to the District Judge.

(x) Only such litigant(s) and their counsel shall be permitted to enter the court premises where case(s) is/are notified and listed. The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to ensure the entry into the court premises only of the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.

(xi) Canteen, photocopy shops situated within the court premises shall remain closed to prevent crowding. President Bar Association shall ensure limited entry to the Bar Room (s) to prevent crowding.

(xii) Proper sanitization of entire premises must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors to ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without hand wash/hand sanitizer.

(xiii) It shall be ensured that social distancing is maintained in the court premises or court rooms by all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders.

(xiv) Entry in the court room shall be permitted to those Advocates/litigants whose matter is called out for hearing. Rest of the Advocates shall wait outside the court room or designated area for their turn, maintaining social distancing norms.

(xv) The display boards shall be functional for convenience and information.

(xvi) The Advocates shall carry their own case file and once the matter is over, learned Advocate/litigants shall immediately leave the court room.

(xvii) A Committee of one Senior Judicial Officer, President of Bar Association or the Advocate nominated by the President of Bar and one senior court staff shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions.

(xviii) All the guidelines issued by the Central and State Government from time to time to prevent spread of Covid-19, shall be strictly followed.

In continuation of Circular No.B/4195 dated 31.10.2020, functioning of remaining days (other than days for limited physical hearing) w.e.f. **17.11.2020 to 05.12.2020** for **virtual limited hearing** is hereby extended as per Circular No.D/2377 dated 27.06.2020 and No.Q/12 dated 04.05.2020, No.B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

BY ORDER OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE

13.11.2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

***